

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**  
मांग संख्या 17  
**खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	75.80	32998.75	33074.55	36.25	44523.75	44560.00	73.69	53163.76	53237.45	
पूंजी	19.20	1.25	20.45	28.75	1.25	30.00	21.31	3.24	24.55	
जोड़	<b>95.00</b>	<b>33000.00</b>	<b>33095.00</b>	<b>65.00</b>	<b>44525.00</b>	<b>44590.00</b>	<b>95.00</b>	<b>53167.00</b>	<b>53262.00</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	21.60	21.60	...	24.55	24.55	...	30.49	30.49
खाद्य, भंडारण और भांडागारण										
2. खाद्य सब्सिडी	2408	...	32666.59	32666.59	...	43627.20	43627.20	...	52489.72	52489.72
3. चीनी के बफर स्टॉक के अनुक्षण पर सब्सिडी	2408	...	350.00	350.00	...	275.00	275.00	...	300.00	300.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	300.00	300.00	...	285.00	285.00	...	300.00	300.00
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के जरिए ब्याज सहायता	2408	...	36.42	36.42	...	36.42	36.42	...	31.11	31.11
6. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी योजना-2007	2408	...	...	...	...	34.98	34.98	...	300.00	300.00
7. भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के हैंडलिंग में कमी की प्रतिपूर्ति	2408	...	...	...	...	...	...	0.10	0.10	
8. खाद्य तेलों के आयात से सम्बद्ध सब्सिडी	2408	...	...	...	...	540.00	540.00	...	200.00	200.00
9. चीनी उद्योग के विकास से सम्बद्ध अन्य व्यय	2408	...	11.00	11.00	...	10.52	10.52	...	12.27	12.27
10. चीनी विकास निधि-अन्तरण	2408	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
को	2408	...	-661.00	-661.00	...	-590.92	-590.92	...	-787.27	-787.27
से	6860	...	-355.00	-355.00	...	-355.00	-355.00	...	-725.00	-725.00
निवल	...	...	-766.00	-766.00	...	-695.92	-695.92	...	-1262.27	-1262.27
11. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	4.30	24.11	28.41	3.12	30.25	33.37	4.80	36.37	41.17
	4408	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.30	...	1.30
जोड़	...	5.50	24.11	29.61	4.32	30.25	34.57	6.10	36.37	42.47
<b>जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण नागरिक आपूर्ति</b>		<b>5.50</b>	<b>32622.12</b>	<b>32627.62</b>	<b>4.32</b>	<b>44143.45</b>	<b>44147.77</b>	<b>6.10</b>	<b>52407.30</b>	<b>52413.40</b>
12. ग्रामीण अनाज बैंक	3456	15.30	...	15.30	15.30	...	15.30	15.60	...	15.60
13. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	3456	5.50	...	5.50	3.50	...	3.50	15.50	...	15.50
	3601	40.40	...	40.40	5.20	...	5.20	17.70	...	17.70
	3602	2.30	...	2.30	2.06	...	2.06	7.20	...	7.20
जोड़	...	48.20	...	48.20	10.76	...	10.76	40.40	...	40.40
14. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	...	...	...	0.72	0.72	...	0.94	0.94
15. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्ति	3456	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
<b>जोड़-नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता उद्योग</b>		<b>63.50</b>	<b>0.01</b>	<b>63.51</b>	<b>26.06</b>	<b>0.73</b>	<b>26.79</b>	<b>56.00</b>	<b>0.95</b>	<b>56.95</b>
16. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	10.00	...	10.00	9.10	...	9.10	8.00	...	8.00
17. खाद्यान्न प्रबन्धन में विकास अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	4408	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	0.01	...	0.01
18. उपभोक्ता उद्योग	2852	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
19. चीनी कारखानों का सुधार/आधुनिकीकरण	6860	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	250.00	250.00

सं.17/खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
20. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
21. बगैस आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	350.00	350.00
22. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	100.00	100.00
<b>जोड़-उपभोक्ता उद्योग</b>		<b>13.00</b>	<b>355.02</b>	<b>368.02</b>	<b>12.10</b>	<b>355.02</b>	<b>367.12</b>	<b>8.01</b>	<b>725.02</b>	<b>733.03</b>
23. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल कारपोरेशन को ऋण	6860	...	1.25	1.25	...	1.25	1.25	...	3.24	3.24
24. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	8.00	...	8.00	7.07	...	7.07	12.89	...	12.89
	4552	5.00	...	5.00	15.45	...	15.45	12.00	...	12.00
	जोड़	13.00	...	13.00	22.52	...	22.52	24.89	...	24.89
<b>कुल जोड़</b>		<b>95.00</b>	<b>3300.00</b>	<b>33095.00</b>	<b>65.00</b>	<b>44525.00</b>	<b>44590.00</b>	<b>95.00</b>	<b>53167.00</b>	<b>53262.00</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
16.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	10.00	...	10.00	9.10	...	9.10	8.00	...	8.00
16.02 केन्द्रीय भंडागारण निगम	12408	...	49.64	49.64	...	44.77	44.77	...	135.95	135.95
<b>जोड़</b>		<b>10.00</b>	<b>49.64</b>	<b>59.64</b>	<b>9.10</b>	<b>44.77</b>	<b>53.87</b>	<b>8.00</b>	<b>135.95</b>	<b>143.95</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. खाद्य, भंडारण और भंडागारण	12408	18.50	49.64	68.14	16.42	44.77	61.19	14.11	135.95	150.06
2. नागरिक आपूर्ति	13456	63.50	...	63.50	26.06	...	26.06	56.00	...	56.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	13.00	...	13.00	22.52	...	22.52	24.89	...	24.89
<b>जोड़</b>		<b>95.00</b>	<b>49.64</b>	<b>144.64</b>	<b>65.00</b>	<b>44.77</b>	<b>109.77</b>	<b>95.00</b>	<b>135.95</b>	<b>230.95</b>

(करोड़ रुपए)

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, (ii) सुरक्षित भंडारों को रखने की लागत और (iii) लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण। आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें लाने-ले जाने, भंडारण, रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारों को भी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं। इसमें हरियाणा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर कार्यान्वित की जा रही लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधारित स्मार्ट कार्ड पर पायलट योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

3. इसके अंतर्गत चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. यह प्रावधान चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट विपणन एवं चढ़ाई-उतराई तथा अन्य अनुमेय दावों के भुगतान पर आंतरिक परिवहन और भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावों के लिए किया गया है।

5. यह प्रावधान चीनी मिलों को वित्तपोषण के सम्बन्ध में सहकारी और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. यह प्रावधान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को चार वर्ष की अवधि सम्बन्धी दो वर्ष की स्थगनअवधि शामिल है, हेतु है जिसमें चीनी मिलों का वित्तपोषण 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित था जिसमें से 5% बजट प्रावधान से तथा शेष 7% एसडीएफ से पूरा किया जाएगा।

7. यह प्रावधान आयातित उर्वरकों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य

निगम को कमी के कारण राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु है।

8. यह प्रावधान खाद्य तेल सब्सिडी के भुगतान हेतु है, यह भुगतान 15 रुपए प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकारों/संघराज्य प्रशासनों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य तेल योजना के तहत मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एमएमटीसी), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसटीसी), पीईसी लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारिता संघ (नापेड) को किया जाना है।

9. यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

10. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 मार्च, 2008 से 24 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयोग में लाने के लिए चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अंतरित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए ऋण, अनुदान देते हुए तथा चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य व्यय की व्यवस्था है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

11. इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ परिषद/ अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

12. यह प्रावधान ग्रामीण अनाज बैंक से संबंधित योजना के कार्यान्वयन के लिए है।

13. यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए

सं.17/खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

खाद्यान्नों के क्षरण/खाली किए जाने पर नियंत्रण, टी.पी.डी.एस. लाभभागियों में जागरूकता लाना, के लिए है।

14. यह प्रावधान केन्द्रीय सतर्कता समिति जो कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निकाय है, के द्वारा वेतन इत्यादि सम्बन्धी उपगत होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु है।

15. यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में इसके व्यापारिक कार्यकलाप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।

16. यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है, जो प्रगति पर है।

17. यह प्रावधान खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली के प्रचालन से संबंधित है।

18. इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को अवशिष्ट भुगतान, यदि कोई हो, करने का प्रावधान शामिल है।

19. यह व्यय अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की फैक्टरी के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है जो चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

20. यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

21. यह प्रावधान बगैस आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण देने हेतु किया गया है।

22. यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण देने के लिए किया गया है।

23. यह प्रावधान हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड के संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए है।

24. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।